कार्यालय :— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक ..134.. / दो—12—03 / 86 विदिशा, दिनांक 13.03.2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा अधिसूचित **M.P. District Court Establishment (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2016 as published on M.P. Gazette Dt. 28-06-2019** के अनुक्रम में इस स्थापना पर गठित प्रशासनिक एवं पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन और वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता के आधार पर रजिस्ट्री जबलपुर के पत्र क्रमांक सी / 660 / तीन—17—79 / 18, दिनांक 19.02.2020 और क्रमांक डी / 3209 / तीन—17—79 / 18, दि—17.08.2020 के अनुक्रम में 02 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण कर चुके निम्नानुसार आकस्मिकता निधि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भृत्य के नियमित पदों पर छठवें वेतनमान 4440—7440 ग्रेड पे—1300 सातवें आयोग में लेवल—1 के वेतनमान 15500—49000 में सेवा एवं भर्ती नियम—2016 दिनांक 29.06.2019 की अनुसूची—दो (नियम—5) की कंडिका क्रमांक नियम—25(1) में दिये गये निर्देशानुसार **02 वर्ष** की परीवीक्षा अवधि के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की दिनॉक से **पदोन्नति / नियमितीकरण** किया जाता है :—

वेतनमान 4440—7440 ग्रेड पे 1300 पुनरीक्षित वेतनमान लेवल—1 (15500—49000)

कं.	**शासकीय सेवक का नाम**	**वर्तमान पद**	**पदोन्नत पद**
1	सुश्री डामेश्वरी चौधरी	कंटींजेंट भृत्य	नियमित भृत्य

सेवा की सामान्य शर्तें

01. यह कि वे शपथ लेंगे कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रृद्धा व निष्ठा रखेंगे।

02. कर्मचारी की यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और कभी भी बिना कोई कारण दर्शाये, बिना कोई नोटिस दिये एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्मचारी अपना पद त्यागना चाहे तो एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर सेवामुक्त हो सकता है।

D.T.O

03. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां स्व–प्रमाणित कर, ज्वाईनिंग प्रतिवेदन के साथ कर्मचारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त दस्तावेजों की संबंधित संस्थान से सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जावेगी तथा विधि अनुसार अन्य कार्यवाही की जावेगी।

04. कर्मचारी को अपनी उपस्थिति पर म0प्र0सिविल सेवायें(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार वांछित आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे।

05. कर्मचारी को पदभार ग्रहण करने के पश्चात उसे सिविल सर्जन का फिटनेस प्रमाण पत्र 15दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

06. कार्यालय में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का उपयोग सेवा, आचरण नियमों के अंतर्गत सेवा के लिये अयोग्य माना जावेगा।

07. यह कि उन्हें म0प्र0शासन वित्त विभाग मंत्रालय भवन भोपाल के परिपत्र क्र0 एफ–9/तीन/2013/नियम–4 भोपाल, दिनांक 13.04.05 के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

08. कर्मचारी अन्य विभाग से सीधा पत्राचार या आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा, आवेदन पत्र इस स्थापना के माध्यम से प्रेषित करना होगा।

09. चयनित कर्मचारी को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22–ए का पूर्णतः पालन करना होगा। उल्लंघन की दशा में सेवा के अयोग्य माना जावेगा।

10. कर्मचारी का 03वर्ष तक अंतरमंडलीय स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेगा, परंतु माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानांतरण कभी–भी किया जा सकेगा।

11. आदेश प्राप्त होने के 15दिवस के अंदर कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किये जाने पर यह आदेश **स्वमेव निरस्त** समझा जावेगा।

12. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र0 सी–3–13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12.12.19 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में पदोन्नत पद होने से, 100प्रतिशत वेतन–भत्तों का उपरोक्त शासकीय

सेवक भुगतान प्राप्ति के पात्र होंगे। यदि उक्त आदेश में राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय से किसी प्रकार से संशोधन या निर्देश वेतन–भत्तों के संबंध में प्राप्त होते हैं तो उनसे प्रदाय वेतन–भत्तों की राशि में से विधिवत् वसूली शासन के नियमानुसार की जावेगी, उक्त संबंध में एक बंध–पत्र पृथक से शासकीय सेवक को देना होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

पृष्ठां0क्रमांक 388 /दो–12–03/86 विदिशा, दिनांक 18.03.2024

प्रतिलिपिः–

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कुरवाई की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश तक सुश्री डामेश्वरी चौधरी अपनी वर्तमान पदस्थापना पर ही कार्य करेंगी।
02. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय विदिशा।
03. सुश्री डामेश्वरी चौधरी, आवासीय भृत्य, न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश, कुरवाई की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
04. लेखापाल/वेतन लिपिक/आईएफएमआईएस लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. जेएसए, विदिशा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कर, ई मेल आईडी पर प्रेषित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0.